प्रेस विज्ञप्ति (22.03.2013)

विधानसभा में विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार घोषणाएं की गईः–

❖ श्रीगंगानगर जिले में श्रीविजय नगर से रायसिंह नगर की सड़क का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है।

❖ नागौर जिले की जायल तहसील की निम्न सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित हैः–

  - ग्राम गेलोली से ईग्यार वाया कसनाऊ
  - ग्राम बोडवा से छावटाकला
  - ग्राम छापड़ा से खेडा हीरबास

❖ जोधपुर जिले की निम्न सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये जायेंगेः–

  - साथीन–गोटन वाया खारीया
  - पीपाड़सिटी–साथीन–रतकुडीया–भोपालगढ–मंगेरिया–खीमसर

❖ बांसवाड़ा जिले की निम्न सड़कों को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये जायेंगेः–

  - गढ़ी से आनन्दपुर
  - गढ़ी–कलिंजरा–कुशलगढ़
  - कोटरा पुल से आनन्दपुरी
  - करजी से नोगामा

❖ करौली जिले में निम्न सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना प्रस्तावित हैः–

  - रानेता–मसावता–भरतून–ताजपुर
  - हाडोती से रानेता
  - कुडगांव से मोहनपुरा

❖ चूरू जिले में मालासी गाँव के बाहर से सालासर जाने के लिये बाइपास, एवं ग्राम सुलखनियां से ढ़ाणी मडिवाल की सड़कों के निर्माण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

❖ उदयपुर में डबोक–गुडली–घासा–मावली की सड़क के नवीनीकरण एवं चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

❖ अजमेर में मसूदा से विजयनगर की सड़क को चौड़ा किया जायेगा एवं इसका नवीनीकरण किया जायेगा।

❖ कादेड़ा (अजमेर) से ढ़ानेश्वर (भीलवाड़ा) तक 3.5 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण कराया जायेगा।

❖ निम्नानुसार रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगाः–

  - बीकानेर में लूणकरणसर के गाँव किस्तुरिया, रामबाग एवं महाजन
  - चूरू से रतनगढ़ के मध्य
  - रतनगढ़ से सुजानगढ़ के मध्य लोहा–सांगासर रास्ते पर
  - रतनगढ़ से सुजानगढ़ के मध्य मध्यसांवतिया–बुधवाली, खेतड़ी रास्ते पर
  - जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में

❖ राज्य के 5 बड़े शहरों – जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा में विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटराइज्ड नियंत्रण तंत्र की स्थापना की जायेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से विद्युत आपूर्ति में ट्रिपिंग की समस्या को दूर करने में सहायता मिलने के साथ–साथ fault repair भी शीघ्रता से किया जाना संभव हो सकेगा।

❖ निम्नानुसार एनिकटों का निर्माण प्रस्तावित हैः–

➢ करौली में सपोटरा में पाँच एनिकट, बड़ पीपल का नाला, ग्राम हाडौती, रीमॉडलिंग ऑफ खोहरी एनिकट, बड़ी वाली नरी ग्राम कोटड़ा, जेरे का नाला की रीमॉडलिंग ग्राम पंचायत भांकरी और पड़वा देवी के पास, ग्राम सोप।

➢ बनास नदी पर सुरेली गाँव श्योपुरा महादेव मंदिर के समीप एनिकट।

➢ दौसा में ग्राम बहरावण्डा के लोलाई सकड़ा क्षेत्र में एनिकट।

➢ झुन्झुनू जिले में उदयपुरवाटी में ग्राम खों में मंसामाता एनिकट।

➢ प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मेरियाखेडी में एनिकट।

➢ डूंगरपुर में गाँव माल चौकी के पास मोरन नदी पर सादोड़ावाला एनिकट।

➢ चित्तौड़गढ़ में दुगार गाँव के पास सामरिया एनिकट, बेरी का नाका एनिकट तथा शंभुपुरिया एनिकट।

❖ डूंगरपुर में गजपुर बांध, बोडामली (भादर) बांध एवं वात्रक (पाडलिया) बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा तहसील के मेवाड़ा बांध व नहरों तथा डूंगरपुर तहसील के मारगीया बांध व नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिन पर लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

❖ चित्तौड़गढ़ जिले के रूपारेल बांध की नहर एवं खोखी बांध के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की वागन परियोजना की आलोद माइनर की मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा।

❖ भीलवाड़ा जिले के देवेन्द्र सागर तालाब के waste पानी को डागरमाला एनिकट तक फीडर का निर्माण कर पहुंचाया जायेगा।

❖ बालोतरा शहर की पेयजल योजना, जिसकी लागत लगभग 11 करोड़ रुपये है, का काम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

❖ भीनमाल शहर एवं 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की परियोजना का प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिया जायेगा।

❖ जयपुर शहर के बाहरी अलाभांवित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना बनाई जायेगी। प्रारंभ में जगतपुरा, प्रतापनगर एवं महल रोड़ के पास स्थित क्षेत्रों में इस विशेष योजना के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

❖ जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन तकनीकी कर्मचारियों के 1 हजार 200 पदों पर आगामी वर्ष नियुक्तियाँ की जायेंगी।

❖ आगामी वर्ष 50 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

- ❖ पैलियटिव केयर (Palliative Care) के माध्यम से गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीज़ों को वेदना से राहत दिलवाई जाती है। अतः प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पैलियटिव केयर की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 14 पद सहायक आचार्यों के सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्पीच थैरेपिस्ट के 14 पद सृजित किये जायेंगे। साथ ही दंत चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में 10 पद सहायक आचार्यों के एवं 5 पद डिमोंस्ट्रेटर्स के सृजित किये जायेंगे।

- ❖ गाड़िया लुहारों को कच्चे माल के क्रय हेतु 2 हजार 500 रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया जायेगा।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित गाँवों में 200 नये माँ—बाड़ी केन्द्र एवं माडा तथा बिखरी आबादी हेतु 50 नये माँ—बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

- ❖ सहरिया किसान, मार्जिन मॅनी के अभाव में फसली ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा सहरिया किसानों को मार्जिन मॅनी अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसके लिए वर्ष 2013—14 में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

- ❖ अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) एवं वक्फ विकास परिषद इत्यादि संस्थाओं हेतु एक भवन निर्मित किया जायेगा। आगामी वर्ष इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

- ❖ आगामी वर्ष बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में 400 क्विंटल सेवण घास के बीजों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इससे लगभग 2 हजार 600 हैक्टेयर, निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर सेवण घास के चरागाह विकसित हो सकेंगे।

- ❖ मछली पालन तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलवर के सिलीसेढ, हनुमानगढ़ के लखुवाली, बांसवाड़ा के सागरोद, कोटा के सूरसागर तथा टोंक के गिलवा मत्स्य फार्मों का 5 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा।

- ❖ मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को उचित बीमा क्लेम दिलवाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा संबंधित कम्पनियों के माध्यम से अतिरिक्त स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित करवाने का प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में 500 ऐसे केन्द्र स्थापित हैं तथा हमारा प्रयास है कि इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1 हजार 200 कर दी जाये ताकि प्रत्येक गिरदावर सर्किल में एक मौसम केन्द्र हो। इसके अतिरिक्त इस बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी करना प्रस्तावित है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

- ❖ 'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये एवं अन्य श्रेणी की मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

- ❖ वर्ष 2013–14 के बजट भाषण में फल एवं सब्जियों का विक्रय, मण्डी में करने की बाध्यता को समाप्त किया गया था। अब मैं फल एवं सब्जियों के विक्रय पर मण्डी शुल्क भी समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।
- ❖ ऊन के विक्रय पर वसूले जा रहे मण्डी शुल्क को समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस घोषणा से भेड़ पालक लाभांवित होंगे तथा प्रदेश से अन्य प्रान्तों में ले जाकर ऊन की बिक्री पर अंकुश लग सकेगा।
- ❖ वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बालक–बालिकाओं की वर्ष में एक बार चिकित्सकीय जांच की जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले एवं प्रदेश की लगभग 61 हजार से अधिक आंगनबाड़ियों में आने वाले सभी बालक–बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की जायेगी। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार उपचार करने के साथ–साथ यह भी देखा जायेगा कि बच्चों में कोई दृष्टि या श्रवण दोष तो नहीं है। ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिनके दृष्टि अथवा श्रवण दोष का उपचार शल्य क्रिया अथवा अन्य प्रकार से किया जा सकता है। इस अभियान पर आगामी वर्ष लगभग 19 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। अभियान से लगभग 1 करोड़ 30 लाख बच्चे लाभांवित होंगे।
- ❖ बजट भाषण में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में की गई घोषणा के अतिरिक्त आगामी वर्ष 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ करने के साथ–साथ 500 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में, प्रत्येक जिले में, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में देय क्रमशः 40 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर क्रमशः 75 हजार रुपये एवं 1 लाख रुपये किया जायेगा। इस योजना में अब विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी शामिल किया जायेगा।
- ❖ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को, गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत देय 4 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया जायेगा।
- ❖ प्रौद्योगिकी (technology) के क्षेत्र में आये क्रांतिकारी परिवर्तनों का उपयोग करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर परम्परागत क्लास रूम्स को 'Smart Class Rooms' में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये की लागत से चयनित महाविद्यालयों के क्लास रूम्स को Smart Class Rooms में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ जैव प्रौद्योगिकी (Bio-technology) एवं जैव चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र जोधपुर में स्थापित किया जायेगा।
- ❖ राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अल्प आयवर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने एवं विज्ञान शिक्षा के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से सेटकाम नेटवर्क के 100 टर्मिनल्स स्थापित किये जायेंगे।

- प्रदेश के ब्लॉक स्तर तक के 4 हजार 587 कार्यालयों को Wide Area Network के माध्यम से जोड़ने की परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में जिला मुख्यालय स्तर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। Wide Area Network के माध्यम से अब यह सुविधा निकट भविष्य में उपखंड स्तर तक भी उपलब्ध होगी।
- लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से संभागीय स्तर के कार्यालयों में ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् द्वितीय चरण में, वर्ष 2013–14 में दौसा, सीकर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा के जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाईन लर्निंग लाईसेंस बनाने की व्यवस्था की जायेगी। आगामी दो वर्षों में शेष सभी जिला परिवहन कार्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी।
- पाली के जैतारण कस्बे हेतु सीवरेज एवं ड्रेनेज की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। इसके अतिरिक्त नागौर जिले के लाडनूं कस्बे हेतु सीवरेज एवं कोटा जिले के कैथून में ड्रेनेज एवं सड़क निर्माण की परियोजना क्रियान्वित की जायेंगी।
- माउंटआबू नगर पालिका को सड़कों की मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- जयपुर में बस्सी एवं जोधपुर में भोपालगढ़ में नगर पालिकाएं सृजित करना प्रस्तावित है।
- शहरी स्थानीय निकायों के पार्षदों को देय बैठक भत्तों को निम्नानुसार बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैः–
  - नगर निगम – 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, अधिकतम 1 हजार 500 रुपये।
  - नगर परिषद – 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, अधिकतम 1 हजार 200 रुपये।
  - नगर पालिका – 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये, अधिकतम 900 रुपये।
- फलोदी एवं नीमराना में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलोदी के उप–केन्द्र को जिला उद्योग केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं नीमराना में नये उप–केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- स्वामी विवेकानन्द की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेहविलास महल के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में स्थापित स्वतंत्रता सैनानियों की सचित्र दीर्घा का 1 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जायेगा।
- देवस्थान विभाग की रिक्त भूमियों पर निर्माण करवाकर अथवा भवनों के पुनरुद्धार के पश्चात् गोगामेड़ी–हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं पाली में धर्मशालायें संचालित करना प्रस्तावित है। प्रत्येक धर्मशाला के निर्माण अथवा पुनरुद्धार पर लगभग 1–1 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।
- भरतपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जयपुर–प्रथम एवं अजमेर में देवस्थान के सहायक आयुक्त कार्यालयों हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

- आगामी वर्ष, नव सृजित तहसीलों एवं उप–तहसीलों के भवन निर्माण हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, राजस्व कार्यालयों एवं आवासों के जीर्णोद्धार हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- बजट में मैंने खान एवं भू–विज्ञान विभाग का पुनर्गठन करते हुए नये पदों के सृजन का प्रस्ताव किया था। उसी क्रम में यह प्रस्तावित है कि विभाग हेतु 50 नये वाहन क्रय किये जायेंगे एवं कार्यालयों के भवन निर्माण एवं तकनीकी उपकरण खरीदने हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- निम्नानुसार नई तहसीलों एवं उपतहसीलों का सृजन प्रस्तावित है:–
  - तहसीलें– डूंगरपुर में झोतरीपाल एवं अजमेर में अराई।
  - उपतहसीलें– चूरू में दूधवाखारा तथा सालासर, जैसलमेर में झिनझिनयाली, बीकानेर में महाजन, झालावाड़ में सारोला कला, हनुमानगढ़ में ढाबा, भीलवाड़ा में ज्ञानगढ़, कारोई तथा ढ़ीकोला, झुन्झुनू में मण्डावा, जोधपुर में शेखासर तथा घंटियाली, पाली में नाना तथा खीवाड़ा, करौली में कुड़गांव तथा बालाघाट, अजमेर में सराधना, जयपुर में तूंगा तथा मुण्डोता एवं अलवर में मांढ़ण।
- पूर्व में टोंक में दूनी तथा जोधपुर में लोहावट में उपतहसील सृजित करने की घोषणा की गई थी। इन दोनों स्थानों पर अब तहसील सृजित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जयुपर में दूदू और करौली में मासलपुर उपतहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 16 जिला कारागृहों में एलोपैथिक चिकित्सक के नये पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कारागृह जयपुर में साईक्याट्रिस्ट एवं क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट के पद भी सृजित किये जायेंगे। साथ ही, सभी आठों केन्द्रीय कारागृहों के चिकित्सालयों में ईसीजी मशीनें भी उपलब्ध करवाई जायेंगी।
- निम्नानुसार पुलिस चौकी को थानों में क्रमोन्नत करना एवं नई पुलिस चौकियाँ सृजित करना प्रस्तावित है:–
  - थानों में क्रमोन्नयन– बांसवाड़ा में अरथुना, भीलवाड़ा में पारोली, जैसलमेर में लाठी, प्रतापगढ़ में घंटाली, उदयपुर में घांसा, सीकर में बलारा, बूंदी में दहीखेड़ा, झालावाड़ में कामखेड़ा, सवाईमाधोपुर में पीलोदा एवं दौसा में लवाण।
  - नई पुलिस चौकियाँ– कोटा में ताथेड़, झालावाड़ में रातादेवी, भीलवाड़ा में कोटड़ी कस्बा, सवाईपुर, जहाजपुर बस स्टेण्ड एवं कुराडियां, दौसा में लाका मोड़, बांदीकुई बाइपास चौराहा एवं गुढ़ा कटला, अलवर में ग्राम शेखपुरा, बाड़मेर में बामणौर, बाण्ड एवं दूधवा, बांसवाड़ा में जोलाना एवं सरेड़ी छोटी, अजमेर में सराधना एवं नरवर, डूंगरपुर में जोथरीपाल, बीकानेर में बम्बलू एवं शेरेरा तथा जयपुर ग्रामीण में रायसर।
- नागौर में जसवंतगढ़ एवं भीलवाड़ा में कोटड़ी तथा हनुमान नगर थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- बीकानेर में कोलायत एवं चित्तौड़गढ़ में भदेसर में नये वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे।

❖ भीलवाड़ा के सहाड़ा में एवं अलवर के नीमराना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किया जायेगा।

❖ जिला प्रमुखों को वर्तमान में देय 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय को बढ़ाकर 9 हजार रुपये, पंचायत समितियों के प्रधानों के मानदेय को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये एवं सरपंचों के मानदेय को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये करना प्रस्तावित है।

❖ पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रतिमाह देय बैठक भत्तों को निम्नानुसार बढ़ाया जाना प्रस्तावित है:–

 ➢ जिला परिषद सदस्य – 125 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये।

 ➢ पंचायत समिति सदस्य – 100 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये।

 ➢ ग्राम पंचायत सदस्य – 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये।

❖ विभिन्न विभागों में नियोजित कर्मिकों की मासिक मानदेय की दरों में निम्नानुसार बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है:–

कार्मिक	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	बढ़ोतरी (प्रतिमाह)
सईस, पशुपालन	5,200	5,500	300
पशुधन सहायक	5,400	5,700	300
पम्प चालक, जनता जल योजना	2,100	2,400	300
अधिशेष चुंगी कर्मचारी, पंचायती राज	3,510	3,810	300

❖ इस बजट में मैंने उपनिवेशन क्षेत्र की ऐसी जमीनों के, जिनके आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं के, प्रकरणों में बिना ब्याज के राशि दिसम्बर, 2013 तक एकमुश्त जमा करवाने पर आवंटन बहाल करने की घोषणा की है बशर्ते की जमीनों को अन्य किसी को आवंटित नहीं किया गया हो। इसी क्रम में उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को उन्हें आवंटित जमीनों के पेटे उनके द्वारा जमा कराई जाने से शेष रही समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा करवाने पर, ब्याज में दिनांक 28 फरवरी 2013 तक दी गई छूट को 31 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूँ।

❖ The Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986 के नियम 65 को विलोपित करना प्रस्तावित है।